

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1521/2013

संस्थापन दिनांक 12.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—भगवानस्वरूप पुत्र कप्तान प्रसाद उम्र 35 साल
निवासी ग्राम चम्हेड़ी थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 30.10.13 को 12:30 बजे मौजा चम्हेड़ी स्थित नरसिंह का खेत थाना मौ क्षेत्रांतर्गत फरियादी जयनारायण अ0सा01 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया और जयनारायण अ0सा01 की लाठी से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की और जयनारायण अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.13 को जब जयनारायण अ0सा01 अपनी भैंसे चरा रहा था तब पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी भगवानस्वरूप लाठी लेकर आया और दस बीघा वाले खेत में उसे पटककर मारा उसके दाहिने पैर की पिंडली में लाठी लगी और दूसरी लाठी बांये पैर में लगी आरोपी अश्लील गाली देकर बोला कि जयनारायण अ0सा01 ने सही बंटवारा नहीं किया है उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेगा जब जयनारायण अ0सा01 रिपोर्ट करने जाने लगा तो उसका रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी मौके पर राधेश्याम अ0सा04 व रविकांत अ0सा03 ने घटना देखी और उसे बचाया जयनारायण अ0सा01 ने चौकी झांकरी में एफआईआर प्र0पी-1 पंजीबद्ध कराई जिस पर से अप0क0 251/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना

में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में साक्षी बबलू शर्मा अ0सा01 को परीक्षित कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या घटना दिनांक 30.10.13 को 12:30 बजे मौजा चम्हेड़ी स्थित नरसिंह का खेत थाना मौ क्षेत्रांतर्गत फरियादी जयनारायण अ0सा01 को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर जयनारायण अ0सा01 की लाठी से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर जयनारायण अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

5. जयनारायण अ0सा01 ने कथन किया है कि वर्ष 2013 के अक्टूबर माह में दिन के दो-ढाई बजे वह खेतों पर अपनी भैंसे चरा रहा था तब आरोपी भगवानस्वरूप ने आकर उसे पटक लिया और उसे लाठी से दाहिने और बांये पैर में मारा और लाठी से उसके हाथ में चोट पहुंचाई। रवि अ0सा03 व रामौतार अ0सा02 ने आकर उसे उठाया और ले गये उसने चौकी झांकरी में रिपोर्ट की थी और उसका मौ में इलाज हुआ था। रिपोर्ट प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. रामौतार अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि जयनारायण अ0सा01 उसका भाई है दिनांक 30.10.13 को जब वह स्कूल में था तब जयनारायण अ0सा01 का उसके पास फोन आया कि भगवानस्वरूप ने उसे घेर लिया है उसे बचाओ तब उसने अपने बेटे रवि अ0सा03 को फोन किया कि वह जाये और उसको बचाये 15 मिनट में वह भी खेत पर पहुंच गया था और उसने जयनारायण अ0सा01 को घायल अवस्था में देखा था जयनारायण अ0सा01 ने उसे बताया था कि भगवानस्वरूप ने उसे खेत में पटक लिया था और लाठी व लात घूंसों से मारपीट की थी फिर वह जयनारायण अ0सा01 को गाड़ी में बिठाकर चौकी झांकरी में रिपोर्ट लिखाने लाया जहां से उसे मौ के लिए रैफर कर दिया था।
7. रविकांत अ0सा03 ने कथन किया है कि वह आरोपी भगवानस्वरूप को जानता है और जयनारायण अ0सा01 उसका ताउ है। दिनांक 30.10.13 को उसके पास रामौतार का फोन आया था कि खेत में जयनारायण अ0सा01 और भगवानस्वरूप का झगड़ा हो गया है और वह जाकर बचाये तब वह शामिलाली हार में पहुंचे जहां भगवानस्वरूप जयनारायण अ0सा01 को लाठी से पैर में मार रहा था। उसे देखते ही भगवानस्वरूप भाग गया थोड़ी देर बाद उसके पिता रामौतार अ0सा02 आ गये जिन्होंने जयनारायण अ0सा01 को ले जाकर रिपोर्ट की।
8. राधेश्याम अ0सा04 ने कथन किया है कि दिनांक 09.06.16 से 2-3 वर्ष

पूर्व जब वह नरसिंह थापक के ट्रैक्टर पर बैठा था तब नरसिंह ने उसे बताया था कि जयनारायण अ0सा01 और भगवानस्वरूप लड़ रहे हैं तब उसने उन्हें छुड़ा दिया था और बीच बचाव किया था। किसने किसको मारा उसने नहीं देखा उसी भैसे निकल गयी थीं इसलिए वह पीछे चला गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना दिनांक को जयनारायण अ0सा01 से भगवानस्वरूप ने एक लाख पचास हजार रुपये मांगे और जयनारायण अ0सा01 को लाठी मारी और कहने लगा कि सही से बंटवारा नहीं हुआ है और स्वतः कथन किया है कि उसने घटना नहीं देखी है और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है। जयनारायण अ0सा01 ने भी पैरा 5 में कथन किया है कि घटना के समय राधेश्याम अ0सा04 मौजूद नहीं था और उसने आकर बीच बचाव किया था।

9. साक्षी श्रीकृष्ण अ0सा05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 30.10.13 को थाना मौ में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी जयनारायण अ0सा01 द्वारा अपने भाई रामौतार अ0सा02 के साथ चौकी झांकारी पर उपस्थित होने पर उसके द्वारा फरियादी के बताये अनुसार एफ.आई.आर. प्र0पी-1 लिखी गयी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। असल कायमी के लिए थाना मौ भेजे जाने पर अप0क्र0 251/13 की केस डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 30.10.13 को उसके द्वारा फरियादी जयनारायण अ0सा01 की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी भगवानस्वरूप को समक्ष गवाहन गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना में जयनारायण अ0सा01, राधेश्याम अ0सा04, रामौतार अ0सा02, रविकान्त अ0सा03 के कथन उनके बताये अनुसार लिखे थे अपनी तरफ से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं था।
10. साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा06 ने कथन किया है कि दिनांक 30.10.13 को डॉ0 हरीश हासवानी सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे उनके साथ वह भी दो साल से पदस्थ था। वर्तमान में डॉ0 हासवानी लापता हैं और वह डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को पहचानता है क्योंकि उसने उनके साथ कार्य किया है। उक्त दिनांक को सैनिक सुनील कुमार नं0 190 थाना मौ द्वारा लाये जाने पर आहत जयनारायण अ0सा01 पुत्र कप्तान प्रसाद थापक उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम चम्हेड़ी का चिकित्सीय परीक्षण डॉ0 हरीश हासवानी द्वारा किया गया जिसमें आहत को चोट नं01 खरोंच साथ में कड़ापन दाहिने पैर पर तथा चोट नं02 सूजन एवं कड़ापन 1गुणा1इंच बांये पैर में पाई थी आहत छाती में दर्द की शिकायत बता रहा था। चोट नं01 व 2 सख्त एवं भौंथरी वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। आहत का एक्सरे कराया गया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर डॉ0 हरीश हासवानी के हस्ताक्षर हैं।
11. जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी भगवानस्वरूप उसका भाई है जो अलग रहता है। झगड़ा बंटवारे की बात पर से हुआ था अन्य कोई बात नहीं थी। रामौतार अ0सा02 ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसका भगवानस्वरूप से बंटवारे का कोई विवाद नहीं चल रहा है। रविकान्त

अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि बंटवारे के पीछे झगड़ा चल रहा है। राधेश्याम अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि भगवानस्वरूप आदि पांचों भाई सम्मिलित खेती करते थे लेकिन अब वह अलग हो गये हैं और तभी से विवाद चालू है। उसे नहीं मालूम कि बंटवारा कब हुआ था। बबलू ब0सा01 ने भी मुख्यपरीक्षण में बंटवारे के कारण विवाद उत्पन्न होना बताया है। अतः जयनारायण अ0सा01 और बबलू के कथन से आरोपी व फरियादी के मध्य बंटवारे का विवाद होना स्पष्ट होता है। एफआईआर प्र0पी-1 में भी बंटवारे के आधार पर ही विवाद उत्पन्न होना परिलक्षित होता है। अतः बंटवारा ही घटना का हेतुक होना स्पष्ट होता है। रामौतार अ0सा01 ने पैरा 5 में कथन किया है कि जयनारायण अ0सा01 व भगवानस्वरूप का एक और केस चल रहा है। जयनारायण अ0सा01 ने भी पैरा 3 में कथन किया है कि उसका और भगवानस्वरूप का झगड़ा चल रहा है जिसमें बयान हो चुके हैं। रविकान्त अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि जयनारायण अ0सा01 और भगवानस्वरूप के मध्य अन्य कोई झगड़ा हुआ या नहीं उसे नहीं मालूम। अतः आरोपी व फरियादी के मध्य अन्य प्रकरण लंबित होना भी स्पष्ट होता है। लेकिन उक्त प्रकरण कौन सा प्रकरण व किस अपराध का प्रकरण है यह बचाव पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है अतः स्वतः उक्त प्रकरण के आधार पर आरोपी व फरियादी के मध्य बंटवारे के अलावा भी अन्य रंजिश होना स्पष्ट नहीं होता है और उक्त प्रकरण आरोपी द्वारा ही पंजीबद्ध कराया गया है यह स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

12. जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि उसके दोनों पैरों में चोट आई थी और पैरा 4 में बताया है कि उसके बांह में लाठी लगी थी जिससे खून निकल आया था जबकि रिपोर्ट प्र0पी-5 में हाथ में किसी चोट का उल्लेख नहीं है। डॉ0 आर0विमलेश असा06 ने पैरा 3 में बताया है कि आहत उनके सामने नहीं आया था और उल्लिखित चोट ठोकर लगने से गिरने पर आना संभव है। जयनारायण अ0सा01 ने दोनों पांव में चोट होना बताया है जिसकी संपुष्टि रिपोर्ट प्र0पी-5 से भी हुई है। यद्यपि हाथ की चोट की संपुष्टि रिपोर्ट प्र0पी-5 से नहीं हुई है परन्तु विचारणीय पांव की उपहति की संपुष्टि रिपोर्ट प्र0पी-5 से हुई है और परीक्षकर्ता चिकित्सक अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण सम्यक रूप से साबित रिपोर्ट प्र0पी-5 भी अविश्वसनीय प्रतीत न होकर फरियादी जयनारायण अ0सा01 की मौखिक साक्ष्य की संपुष्टिकारक है।
13. जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 5 में कथन किया है कि रवि अ0सा03 को रामौतार अ0सा02 ने फोन पर बुलाया था क्योंकि जब भगवानस्वरूप ने उसे घेरना शुरू किया तब उसने रामौतार अ0सा02 को फोन कर दिया था पहले रवि अ0सा03 आया था और फिर रामौतार अ0सा02 मोटरसाइकिल से आया था। रवि अ0सा03 व रामौतार अ0सा02 और राधेश्याम अ0सा04 के अलावा कोई घटना के समय नहीं आया था। रामौतार अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह 10-15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गया था और जब वह पहुंचा तब जयनारायण अ0सा01 की मारपीट हो चुकी थी और मौके पर रवि अ0सा03 मिला था। घटना के समय राधेश्याम अ0सा04 भी था लेकिन वह उसे नहीं मिला और भगवानस्वरूप भी भागते हुए दिखा था और पैरा 3 में बताया है कि उसके सामने जयनारायण अ0सा01 की कोई मारपीट भी नहीं हुई और जब वह पहुंचा तब जयनारायण अ0सा01 खेत में पड़ा था। अतः रामौतार अ0सा02 के उक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि वह

उपहति कारित करते समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था परन्तु घटना के तत्काल पश्चात वह घटनास्थल पर पहुंच गया था जहां उसने आरोपी की उपस्थिति भी प्रमाणित की है। अतः रामौतार अ0सा02 जबकि घटना का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है परन्तु आरोपी की उपस्थिति का वह प्रत्यक्ष साक्षी है। जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि झगड़े के समय जब उसने रामौतार अ0सा02 को फोन करके बुलाया था तब रामौतार अ0सा02 स्कूल नहीं गया था और घर पर ही था जबकि रामौतार अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह स्कूल में था और उसके पास स्कूल में ही फोन आया था। उपरोक्त विवेचना अनुसार रामौतार अ0सा02 घटनास्थल पर मौजूद होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः जबकि वह घटनास्थल पर ही मौजूद नहीं था तब वह स्कूल पर था अथवा घर पर था यह विरोधाभास तात्विक नहीं रहता है और जयनारायण अ0सा01 को दूरभाष पर बात करने के उपरान्त भी रामौतार अ0सा02 की किस स्थान पर उपस्थिति है यह ज्ञात होना स्वमेव स्वाभाविक भी प्रतीत नहीं होता है।

14. रविकांत अ0सा03 ने पैरा 2 में कथन किया है कि वह घर से खेत पर आ रहा था और जब घर के दरवाजे पर था तब उसके पिता का फोन आया था और वह 5-7 मिनट में ही पहुंच गया था वह दौड़कर गया था। रामौतार अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि रवि अ0सा03 जयनारायण अ0सा01 के पास ही नजदीक के खेत में था और तुरंत पहुंच गया था। रवि अ0सा03 ने पैरा 2 में बताया है कि जब वह पहुंचा तब गाली गलौच हो रही थी और भगवानस्वरूप जयनारायण अ0सा01 को लाठी मार रहा था और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने लाठी नहीं मारी और पैरा 2 में कथन किया है कि उसने 2-3 खेत दूर से भगवानस्वरूप को भागते हुए देखा था। अतः रविकान्त अ0सा03 द्वारा मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में दिए गए कथन कि उसके समक्ष मारपीट की गयी प्रतिपरीक्षण में भी खण्डित नहीं हुए हैं। घटनास्थल से उसका घर भी अत्यधिक दूरी पर होना बचाव पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया है। रामौतार अ0सा02 भी उक्तानुसार घटनास्थल पर उपस्थित होना प्रमाणित नहीं हुआ है जिससे रामौतार अ0सा02 द्वारा रविकांत अ0सा03 की उपस्थिति के संबंध में दिए कथन विरोधाभासी नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि वह स्वयं मौके पर नहीं था।

15. जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 5 में इंकार किया है कि भगवानस्वरूप पर बंटवारे के डेढ़ लाख रुपये आ रहे थे जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा केस बनवाया है। रामौतार अ0सा02 ने पैरा 4 में इंकार किया है कि भगवानस्वरूप के डेढ़ लाख रुपये जयनारायण अ0सा01 पर निकल रहे हैं जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। रविकान्त अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि भगवानस्वरूप के डेढ़ लाख रुपये जयनारायण अ0सा01 पर निकल रहे हैं या नहीं। फरियादी पर डेढ़ लाख रुपये बकाया होना मौखिक साक्ष्य में सिद्ध नहीं हुआ है अतः उक्त तथ्य को साबित करने का भार बचाव पक्ष पर था परन्तु बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि फरियादी पर डेढ़ लाख रुपये बकाया था। बबलू ब0सा01 ने कथन किया है कि भगवानस्वरूप, जयनारायण अ0सा01 पांच भाई हैं जो वर्ष 2012 में अलग रहने लगे लेकिन जयनारायण अ0सा01 और रामौतार अ0सा02 शामिल रहते हैं दिनांक 30.10.13 को जब वह नरसिंह के टैक्टर पर बैठा था तब जयनारायण अ0सा01 और भगवानस्वरूप का बंटवारे के संबंध में वाद विवाद हो गया भगवानस्वरूप डेढ़

लाख रुपये मांग रहा था वहां राधेश्याम अ0सा04 व 4-6 अन्य लोग बैठे थे तब उसके सामने जयनारायण अ0सा01 व भगवानस्वरूप ने झगड़ा नहीं किया और बंटवारे के संबंध में बातचीत चल रही थी और जयनारायण अ0सा01 ने झूठी रिपोर्ट कर दी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बबलू ब0सा01 की उपस्थिति के संबंध में राधेश्याम अ0सा04 को प्रतिरीक्षण में कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं जबकि उसने घटना के समय राधेश्याम अ0सा04 के साथ होना बताया है। अतः बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रथम बार बबलू ब0सा01 का घटनास्थल पर उपस्थित होना वर्णित किया गया है। क्योंकि राधेश्याम अ0सा04 ने भी बीच बचाव करना बताया है। बबलू ब0सा01 द्वारा भी डेढ़ लाख रुपये बकाया होने के संबंध में कथन किया गया है। लेकिन जयनारायण अ0सा01 को उक्त डेढ़ लाख रुपये शोध्य थे यह उसने भी नहीं बताया है और मात्र आरोपी द्वारा डेढ़ लाख रुपये की मांग करना ही बताया है। अतः सर्वप्रथम बबलू ब0सा01 की उपस्थिति घटनास्थल पर बचाव साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रथम बार स्पष्ट की गयी है और द्वितीय रूप से उसकी मौखिक साक्ष्य से भी फरियादी पर डेढ़ लाख रुपये शोध्य होना स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः बबलू ब0सा01 के उक्त कथन से भी बचाव साक्ष्य की प्रतिरक्षा विश्वसनीय रूप से साबित नहीं होती है।

16. रविकांत अ0सा03 ने पैरा 2 में कथन किया है कि पुलिस 31 तारीख को नक्शामौका बनाने आई थी और तभी उससे पूछताछ की थी। रामौतार अ0सा02 ने पैरा 3 में कथन किया है कि नजरी नक्शा बनाने के लिए उसने रवि अ0सा03 के साथ पुलिस को मौके पर भेजा था जो घटना के 2-3 दिन बाद भेजा था। जयनारायण अ0सा01 ने पैरा 5 में कथन किया है कि पुलिस घटना के दूसरे दिन आई थी और उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी। श्रीकृष्ण अ0सा05 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसने दिनांक 30.04.14 को नक्शामौका बनाया था जो फरियादी की निशादेही पर बनाया था। एफआईआर में जितने साक्षी थे उनके कथन उसने लिए थे और घटना के कितने दिन बाद उसने कथन लिए थे उसे याद नहीं है। जयनारायण अ0सा01 के समक्ष नक्शामौका नहीं बनाया गया ऐसा सुझाव ना तो जयनारायण अ0सा01 को दिया गया है ना ही श्रीकृष्ण अ0सा05 को दिया गया है। धारा 161 द.प्र.स. के अधीन दिए कथन सारभूत साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं और उसने भी मात्र एक-दो दिवस का न्यायालयीन साक्ष्य में विरोधाभास तात्त्विक नहीं माना जा सकता है। अतः अभियोजन साक्षीगण के उक्त कथन से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

17. अतः बचाव पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जयनारायण अ0सा01 द्वारा बंटवारे के विवाद पर उसे मिथ्या फंसाया गया और फरियादी पर डेढ़ लाख रुपये शोध्य थे जयनारायण अ0सा01 द्वारा दी गयी साक्ष्य की पुष्टि प्रत्यक्ष साक्षी रविकांत अ0सा03 के कथन से भी हुई है और उपहति का तथ्य चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-5 से समर्थित हुआ है। रामौतार अ0सा02 व राधेश्याम अ0सा04 के कथन से घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति प्रमाणित हुई है। अतः अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिए गए कथन पूर्णतः विश्वसनीय व निर्भर रहने योग्य प्रतीत होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहता है और यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है कि आरोपी ने जयनारायण अ0सा01 को स्वेच्छा उपहति कारित की।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 का सकारण निष्कर्ष //

18. रविकांत अ0सा03 ने कथन किया है कि आरोपी गाली दे रहा था। जयनारायण अ0सा01 ने स्वयं इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि आरोपी ने उसे गालियां दी रविकान्त अ0सा03 ने भी गालियां स्पष्ट नहीं की है। अतः अभियोजन की साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने जयनारायण अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।
19. जयनारायण अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी ने कहा था कि वह उसे जान से खत्म कर देगा। राधेश्याम अ0सा04 ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी कह रहा था कि आज तो बच गया सही से बंटवारा नहीं हुआ तो जान से खत्म कर देगा और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्त प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है। जयनारायण अ0सा01 ने इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि आरोपी द्वारा दी गयी धमकी से वह अभित्रस्त हुआ हो अथवा आरोपी द्वारा उसे अभित्रास कारित करने के लिए धमकी दी गयी हो क्योंकि रिपोर्ट भी अविलम्ब की गयी है और वर्तमान में बंटवारा भी अभिलेख पर नहीं है स्वयं रविकान्त अ0सा03 ने जान से मारने की धमकी दिया जाना नहीं बताया है अतः यह तथ्य भी साबित नहीं होता है कि आरोपी ने जयनारायण अ0सा01 को आपराधिक अभित्रास कारित किया।
20. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने जयनारायण अ0सा01 को सआशय स्वेच्छा उपहति कारित की परन्तु यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि आरोपी ने जयनारायण अ0सा01 को आपराधिक अभित्रास कारित किया अथवा अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया।
21. परिणामतः आरोपी को धारा 323 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। आरोपी को धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
22. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उसे अभिरक्षा में लिया जाता है।
23. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा बंटवारे को सिविल न्यायालय में चुनौती न देकर बल के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास किया गया है जिसमें आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने से समाज के विधिक प्रक्रियाओं पर विश्वास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः आरोपी का आचरण ऐसा नहीं है कि उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
24. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

सही /—

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

25. आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया उनके द्वारा आरोपी को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। जयनारायण अ0सा01 को घटना में एक खरोंच व सूजन आई है जोकि गंभीर प्रकृति की नहीं है। अतः आरोपी को कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा 323 भा.द.स. के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में सात दिवस का साधारण कारावास भुगताय जाये।
26. जमा अर्थदण्ड में से पांच सौ रुपये क्षतिपूर्ति राशि आहत जयनारायण अ0सा01 को अपील अवधि पश्चात प्रदान की जाये। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
27. प्रकरण में आरोपी निरोध में नहीं रहा है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)